2024/245

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री वागाराम पुत्र श्री कसनाजी निवासी भटाना तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 48 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.09.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 15.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम भटाना के खसरा संख्या 850 रकबा 5.00 बीघा की गई तरमीम की सम्पूर्ण जानकारी व तरमीम करने वाले कर्मचारी का विवरण एवं उक्त खसरे के पास में राजकीय सडक स्थित है, उसकी तरमीम वर्ष व तरमीम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का विवरण एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 03.04.2024 को तरमीम गलत होने बाबत् प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं मौके पर सडक व रेकर्ड में सडक की तरमीम में अन्तर सम्बन्धी सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 15.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम भटाना के खसरा संख्या 850 रकबा 5.00 बीघा की गई तरमीम की सम्पूर्ण जानकारी व तरमीम करने वाले कर्मचारी का विवरण एवं उक्त खसरे के पास में राजकीय सडक स्थित है, उसकी तरमीम वर्ष व तरमीम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का विवरण एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 03.04.2024 को तरमीम गलत होने बाबत् प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं मौके पर सडक व रेकर्ड में सडक की तरमीम में अन्तर सम्बन्धी सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/भू.अ./आर.टी.आई. /2024/2975 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक [illegible]कारी तहसीलदार रेवदर के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही [illegible] स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज [illegible] इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:36:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner